(ii) Report of the Lubrizol India Limited, Bombay for the period from 20th July, 1966 to 31st March, 1967 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-1887/68]

NOTIFICATION UNDER GOVERNMENT SAVINGS BANKS ACT

SHRI JAGANNATH PAHADIA : I beg to lay on the Table a copy of the Post Office Savings Bank (Third Amendment) Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 1481 in Gazette of India dated the 8th August, 1968, under sub-section (3) of section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873. [*Placed in Library. See* No LT- 1888/68]

12.25 HRS.

RE RESIGNATION OF MINISTER

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : कार्य सूची तैयार करने के लिए अध्यक्षीय निर्देश नम्बर 2 में क्रमश: तथा सिलसिला निश्चित किया गया है। मैं आपका ध्यान मद या आंइटम 19 की ओर दिलाना चाहता हूं। शुक्रवार को यहां पर श्री अशोक मेहता के इस्तीफे तथा उनके वक्तव्य की बात उठाई गई थी। आपने उस वक्त ठीक ही कहा था कि मैं जबर्दस्ती नियमों के अनुसार कर नहीं सकता, अगर वह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ साथ नियम 199(2) की चर्चा भी हुई थीं जिस में साफ लिखा हुआ है :

"A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made ".

मतलब 24 घंटे की सूचना होनी चाहिये। इसलिए शुक्रवार को उनका बयान हो नहीं सकता था। उस दिन लोगों का यह खयाल था कि सोमवार को बयान होगा। मैं जानता हूं स्थिति को, और मैं उसको पूरी तरह समझ भी रहा हूं कि आप जबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन समूचे सदन और देश की जो अपेक्षा है उसको भी देखना होगा। साथ ही शकधर और कौल साहब की किताब में जो वाक्य है, वह भी मैं आपके सामने रखता हूं। उस में साफ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है :

"Though it is customary for a Minister who has resigned his office to make a statement in the House explaining the reasons for his resignation, he is not bound to make such a statement and the Speaker cannot compel him to do so".

लेकिन साथ साथ कस्टमरी शब्द का प्रयोग है। मतलब यह साधारण रिवाज है। और कोई विशेष कारण हो तो वह न करें, यह भी शकधर साहब ने उस में लिखा है। स्वास्थ्य के लिए अगर कोई इस्तीफा देता है जोकि एक जाहिर कारण है, तो उस पर कभी बयान नहीं होता है। मगर यह असाधारण चीज आज क्यों हो रही है और इस कार्यसूची में अशोक मेहता साहब के बयान का उल्लेख क्यों नहीं है? जबर्दस्ती वगैरह कुछ नहीं है।

MR. SPEAKER : You have had your say now.

श्री मधु लिमये : मेहता साहब कुछ नहीं कहेंगे ?

SHRI ASOKA MEHTA (Bhandara) : I would not like to be misunderstood by the hon. Member and any section of the House. I think, the hon. Member is right when he says that customarily a minister should make a statement. That is so because the House would not know the reason why a minister has resigned. But in

[Shri Asoka Mehta]
this case I thought the House knew as to why I had resigned.

AN HON. MEMBER : Everybody knew.

SHRI ASOKA MEHTA : I did not want to take the time of the House and to waste it. I am sure, everybody knows here that a certain proposition was there before us for voting and it was not possible for me to vote down that proposition. I do not want to make any further statement to that.

12.28 HRS.

BIHAR BUDGET, 1968-69—*contd.*

GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MR. SPEAKER : We have already taken 2 hours in discussing the Bihar budget. 3 hours were allotted. Our UP friends were complaining that whereas Bihar has been given 3 hours, UP, which is double the size of Bihar, has been given only 1 hour. They want that UP should be given some more time.

For the Bihar budget, only one hour remains and there are a large number of members desiring to speak from all parties. May I appeal to them to be brief ? We must complete it in one hour. After one hour, I am going to put it to vote. There should be some end somewhere. I cannot enable all the Members to speak; it is not within my power. So within one hour I am going to close it because only one hour more is there. Shri Mudrika Sinha may resume his speech.

श्री मुद्रिका सिंह (ग्रौरंगाबाद) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बिहार की रत्न गर्भा ग्रौर शस्य श्यामला भूमि होने के बावजूद वहां के लोग निर्धन हैं ग्रौर इस निर्धनता के तीन मुख्य कारण हैं। एक कारण तो स्वतः उस राज्य की गरीबी है। उस गरीबी के कारण इच्छा होने पर भी विकास कार्यों के लिए राजस्व को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर करों का बोझ बढ़ाया जाए तो किसानों की तथा दूसरे लोगों की क्रय शक्ति ग्रौर दातव्य शक्ति घटेगी ग्रौर खेती के उत्थान के लिए जो उन्हें पूंजी का निर्माण करना चाहिये, उसको वे नहीं कर सकेंगे। फलतः गरीबी ग्रौर बढ़ती जाएगी।

दूसरा कारण है हमारे राज्य का बाहरी लोगों से शोषण।

शिर्फ छोटा नागपुर में कोयला, ग्रभ्रक मैंगनीज, बाक्साइट, सीमेंट ग्रौर ग्रायरन ग्रोर ग्रादि की हज़ारों खदानें हैं, लेकिन ग्राप को जान कर ग्राश्चर्य होगा कि इन हज़ारों खदानों में से एक खदान के भी मालिक बिहारी नहीं हैं; सभी बाहर के लोग हैं। फलतः उन खदानों से जो मुनाफ़ा होता है, वह भी हमारे राज्य से बाहर चला जाता है। चूंकि उन मालिकों का हैड ग्राफ़िस कलकत्ता में है, इस लिए उन के ग्राय-कर का एसेसमेंट वहां ही होता है; उस का समुचित हिसाब हमें नहीं मिलता है ग्रौर ग्रायकर का बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल को मिल जाता है; हम उस से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह दर्जनों चीनी के कारखाने हैं पर एक भी कारखाने के मालिक बिहारी नहीं है।

12.31 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

हम लोगों को इनमें नौकरियां पाने की उम्मीद थी लेकिन देखा जाता है कि जितनी की जगहें, हैं, उन पर वे लोग ग्रपने राज्य के ग्रादमी, ग्रपने सगे सम्बन्धी, ग्रपने भाई भगिना भतीजे रखते हैं। इन दिनों एक नई बीमारी शुरू हो गई है। पहले कम से कम चपरासी, ड्राइवर ग्रौर ग्राफ़िस बाय के पदों पर बिहार के लोग बहाल होते थे। लेकिन